



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022026-270413
CG-DL-E-23022026-270413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 907]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 907]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2026/PHALGUNA 4, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

का.आ. 951(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2489 (अ), तारीख 4 जून, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 5 जून, 2025 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना और उसके उपाबंध में, जहाँ कहीं भी "सड़क दुर्घटना पीड़ित नकदी-रहित उपचार स्कीम" शब्द आते हैं, के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "प्रधानमंत्री - सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल सुविधा और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) स्कीम" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी- 11028/1/2026- एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2489(अ), दिनांकित 4 जून, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

S.O. 951(E).— In exercise of the powers conferred by section 162 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2489(E), dated 4th June, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 5th June, 2025, namely: —

2. In the said notification and the Annexure thereto, for the words “Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme” wherever they occur, the words, brackets and letters “Prime Minister - Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment (PM-RAHAT) Scheme” shall be substituted.

[F. No. RT-11028/1/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2489(E), dated the 4th June, 2025.